19.5.26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अनु.। दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/177

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– भरत जय प्रकाश मीना (आई.ए.एस.)

वाद सख्या :– 67/2022 (जी.सी.एम.एस. नं. 2022/177) **दायरा दिनांक :– 30.03.2022**

1. रायसिह
2. बृजपाल

} पुत्रगण रजीराम अकवाम जाट साकिनान भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र चुन्नीराम जाति जाट फौत जरिये वारिस :–

1/1 सावित्री देवी पत्नी
1/2 भैरूसिह पुत्र
1/3 जसवन्त सिह पुत्र

} गोपाल अकवाम जाट साकिनान भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/4 रेखा पुत्री गोपाल पत्नी रमेश कुमार झोरड़ जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/5 समेस्ता पुत्री गोपाल पत्नी रामकुमार पचांर जाति जाट साकिन ठण्डी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/6 मन्जु पुत्री गोपाल पत्नी जयपाल धायल जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/7 अन्जु पुत्री गोपाल पत्नी सुशील काटिया जाति जाट साकिन बान्डा कॉलोनी, अनूपगढ़ तहसील अपूनगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2. शाखा प्रबन्धक महोदय, आईसीआईसीआई बैक शाखा सूरतगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए 1955

उपस्थित :–

1. शिशपाल शर्मा एडवोकेट (वादीगण)
2. प्रमेन्द्र सिह भाटी एडवोकेट (प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/7)
3. पेरोकार राज तहसीलदार प्रतिवादी न. 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19.05.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88–209 आरटीए पेशकर निवेदन किया कि वादीगण के दादा चुनीराम पुत्र श्री घीसाराम के नाम से चक 11 एसएलडी के पत्थर न. 76/391 (31) के किला न. 20/0.228 हैक., 21/0.228 हैक. कुल 0.456 हैक. व पत्थर न. 77/391 (32) के किला न. 15 ता 018, 23 ता 25 में 1.771 हैक. व पत्थर न. 77/392 (37) के किला न. 3 ता 5 में 0.759 हैक. व पत्थर न. 76/392 (38) के किला न. 1 में 0.228 हैक. इस प्रकार कुल 3.214 हैक. कमाण्ड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था व वादीगण के दादा के फौत हो जाने के बाद वादी की बुआ से प्रतिवादी न. 1 अकेले ने दस्तबरदारी करवा लेने से उक्त 3.214 हैक. रकबा में प्रतिवादी न. 1 के नाम के 1.928 हैक. रकबा दर्ज हुआ व वादीगण के पिता रजीराम व उसके भाई दयालाराम के नाम इन्तकाल न. 41 स्वीकृत दिनाक [illegible] प्रत्यके के नाम खातेदारी दर्ज हुआ तथा इस रकबा में से प्रतिवादी न. 1 के नाम के [illegible] प्रतिवादी न. 1 से 0.428 हैक. रकबा का पजीकृत बैयनामा से वादीगण ने [illegible] तथा बैयनामा दिनाक 23.07.2014 के आधार पर 0.428 हैक. रकबा जरिये इन्तकाल न. 44 [illegible] 05.08.2014 को वादीगण के नाम दर्ज हुआ व प्रतिवादी न. 1 के नाम 1.500 हैक. रकबा शेष रहा। इस चक की प्रथम जमाबन्दी सवत् 2061 संलग्न वाद पत्र है तथा प्रतिवादी न. 1 ने जैरप्रकरण रकबा [illegible] 11 एसएलडी की जमाबन्दी सवत् 2061 के खाता न. 18/41 के 3.214 हैक. सयुक्त खाते के खातेदारी रकबा में अपने नाम के 1.500 हैक. खातेदारी रकबा में से 0.253 हैक. रकबा का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर वादीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दिनांक 31.12.2014 को उप –पजीयक कार्यालय सूरतगढ़ से पंजीयन करवाकर इस रकबा का कब्जा वादीगण को सौप दिया। इस बैयनामा की फोटोप्रति उसी समय पटवारी हल्का को सौप दी परन्तु इस बैयनामा के आधार पर पटवारी हल्का ने रिकॉर्ड में वादीगण के नाम इन्तकाल दर्ज नही किया। चक 11 एसएलडी की जमाबन्दी सवत् 2061 के सयुक्त खाता न. 18/41 के 3.214 हैक. रकबा में से प्रतिवादी न. 1 ने अपने नाम के 1.500 हैक. रकबा में से 0.253 हैक. रकबा दिनाक 31.12.2014 को पंजीकृत बेयनामा से बेचान कर कब्जा सयुक्त खाते मे ही वादीगण को सौप दिया था इस प्रकार दिनाक 31.12.2014 को प्रतिवादी न. 1 के 1.500 हैक. रकबा में कानूनी रूप से वादीगण 0.253 हैक. रकबा के खातेदार काश्तकार हो गये थे तथा प्रतिवादी न. 1 के इस रकबा में से 0.253 हैक. रकबा के खातेदारी हक तो बैयनामा दिनाक 31.12.2014 को ही खत्म हो गया था, यानि इस खाते के खातेदारी रकबा में वादीगण कुल 0.428 हैक. प्लस 0.253 हैक. कुल 0.681 हैक. रकबा के खातेदार हो गये थे व प्रतिवादी न. 1 का इस खाते के 3.214 हैक. रकबा में 1.247 हैक. रकबा खातेदारी शष रहा था यानि कानूनी रूप से इस रकबा में वादीगण कुल 0.681 हैक. रकबा का खातेदारी दर्ज करवाने के हकदार हो गये थे तथा प्रतिवादी न. 1 की इस खाते में 1.247 हैक. रकबा से ज्यादा रकबा का रहन बैचान का कोई हक शेष नही था व इसीनुसार अब वादीगण उक्त खाते में बैयनामा दिनाक 31.12.2014 के आधार पर श्रीमान न्यायालय से खातेदार कृषक की घोषणा करवाने व 0.253 हैक. रकबा जैरप्रकरण खाता से प्रतिवादी न. 1 के नाम से कलमजन करवाने के हकदार है। प्रतिवादी न. 1 ने वादीगण के 0.253 हैक. रकबा जो पजीकृत बेयनामा से बैय किया हुआ, का इन्तकाल वादीगण के नाम से दर्ज ना होने का नाजायज फायदा उठाकर कानून के प्रावधानो के विपरीत जाकर प्रतिवादी न. 2 से वादीगण के बेचे गये रकबा सहित कुल 1.500 हैक. रकबा पर ही बैक ऋण प्रतिवादी न. 2 से जारी करवाकर यह रकबा प्रतिवादी न. 2 के नाम रहन रख दिया जिसका रहन का इन्तकाल सख्या 53 दिनाक 10.03.2015 को प्रतिवादी न. 2 के पत्र में स्वीकृत है इस इन्तकाल में से वादीगण के 0.253 हैक. रकबा का इन्तकाल वादीगण के हको पर बेअसर है तथा वादीगण अपने द्वारा पजीकृत बैयनामा दिनाक 31.12.2014 के आधार पर खरीदा गया 0.253 हैक. रकबा पर प्रतिवादी न. 2 द्वारा प्रतिवादी न. 1 के पक्ष का बैक ऋण वादीगण अपने हको पर निष्प्रभावी घोषित करवाने के कानूनी हकदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ''एक खातेदार काश्तकार ने जब अपने नाम का रकबा बैचान कर दिया तो उसके बेचे गये रकबा से तमाम हक खत्म हो जावेगे'' इस प्रकार प्रविताादी न. 1 का इस खाते में से दिनाक 31.12.14 को केवल 1.247 हैक. रकबा पर ही Haritable and trarfarable right थे इससे ज्यादा रकबा को रहन रखने का हक भी नही था इसलिये वादीगण इस खाते में प्रतिवादी न. 1 के नाम के 1.500 हैक. रकबा में बैयनामा दिनाक 31.12.2014 के आधार पर 0.253 हैक. रकबा खातेदार कृषक घोषित करवाकर व 1.500 हैक. रकबा में से 0.253 हैक. कलमजन करवाकर वादीगण के नाम पूर्व में दर्ज 0.428 हैक. में 0.253 हैक. रकबा जुड़वा कर कुल 0.681 हैक. रकबा के खातेदार कृषक घोषित करवाने के तथा इस 0.253 हैक. पर से प्रतिवादी न. 2 से बैक ऋण बागुजार करवाने के कानूनी हकदार है। इसलिये चक 11 एसएलडी की जमाबन्दी सवत् 2073 ता 76 के खाता न. 64/18 के 3.214 हैक. कमाण्ड रकबा में प्रतिवादी न. 1 के नाम के 1.500 हैक. खातेदारी रकबा में से 0.253 हैक. रकबा के वादीगण बैयनामा दिनाक 31.12.2014 के आधार पर खातेदार कृषक है, घोषित किया जावे व यह 0.253 हैक. रकबा प्रतिवादी न. 1 के नाम कलमजन कर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किया जाकर वादीगण के नाम पूर्व में दर्ज 0.428 हैक. रकबा का जोड़ 0.681 हैक. खातेदारी दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी न. 2 प्रतिवादी न. 1 को 1.500 हैक. रकबा का बैक ऋण प्रभार वादीगण द्वारा पजीकृत बैयनामा से खरीदा गया 0.253 हैक. रकबा तक का बैक ऋण शुरू से शुन्य होने से वादीगण के हको पर बेअसर घोषित कर प्रतिवादी न. 1 का 1.5[illegible] से 0.253 हैक. रकबा जो वादीगण का पजीकृत बैयनामा दिनाक 31.12.2014 से खरीदा है [illegible] किया जाकर इतने रकबा पर बैक ऋण बागुजार किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को साधारण व पजीकृत सम्मनो से तलब किया गया। प्रतिवादी न. 1 की और से जवाब दावा प्रस्तुत कर [illegible]दन किया गया कि उक्त भूमि पर बैक का ऋण बैयनामा से पूर्व ही वादीगण के द्वारा उक्त भूमि पर बैक उठाया गया था पारिवारिक समझौता के तहत भूमि का ऋणा जमा करवाना तय हुआ था परन्तु वादीगण ने आज तक ऋण जमा नही करवाया है इस कारण से उक्त बैयनामा का नामान्तरण दज्र नही हो रहा है। इसलिये मुताबिक पारिवारिक समझौता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:41 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बैयनामा करवाया गया था जिसमें उक्त हिस्सा की ऋण राशि वादीगण अदा करवाकर नोडयूज प्राप्त नामान्तरण दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे तथा प्रतिवादी न. 2 तामिल होने के उपरान्त भी हाजिर नही आने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी न. 3 से कोई अनुतोष नही चाहा है तथा हाजिर भी नही आये है इसलिये इनके खिलाफ भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसके उपरान्त निम्न तनकीयात कायम की गई:–

तनकी न. 1 :– आया वादीगण प्रतिवादी न. 1 के नाम के चक 11 एसएलडी के खाता न. 18/41 के 3.214 हैक. में से 1.500 हैक. कमाण्ड खातेदारी में से 0.253 हैक. रकबा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनाक 31.12.2014 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हुआ है ?

वादीगण

तनकी न. 2 :– आया वादीगण बैयनामा दिनाक 31.12.2014 के आधार पर प्रतिवादी न. 1 के जैरप्रकरण रकबा का खातेदार काश्तकार है ?

वादीगण

तनकी न. 3 :– आया प्रतिवादी ने वादी को 0.253 हैक. रकबा का बैयनामा दिनाक 31.12.2014 करवाने के पश्चात् आईसीआईसीआई बैक शाखा सूरतगढ़ से ऋण प्राप्त किया है इसलिये प्रतिवादी द्वारा प्राप्त ऋण वादी के हको पर बेअसर है ?

वादीगण

तनकी न. 4 :– आया वादीगण बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में रकबा अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार है ?

वादीगण

तनकी न. 5 :– आया वादीगण के पक्ष में निष्पादित बैयनामा के पारिवारिक समझौता के तहत प्रतिवादी द्वारा करवाया गया है व वादीगण को जैरप्रकरण रकबा का कब्जा सौप दिया परन्तु ऋण राशि बैयनामा से पूर्व की है इसलिये वादी जमा करवायेगा ?

प्रतिवादी

तनकी न. 6 :– आया वादी स्वंय बैक ऋण जमा करवाकर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा व बैयनामा का पजीयन करवायेगा ?

प्रतिवादी

तनकी न. 7 :– अन्य अनुतोष ....

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात वादीगण के खुद के बयान पी डब्लू 1 करवाये गये व दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श न. 1 व बैयनामा दिनाक 31.12.2014 की असल प्रति प्रदर्श न. 2 पेश किये तथा प्रतिवादी न. 1 ने डी डब्लयु 1 अपने बयान पेश किये जाने पर साक्ष्य उभय पक्ष बंद किये जाकर दोनो पक्षकारो के अधिवक्तागण की बहस सुनी जाने के पश्चात निम्न से तनकी वार निर्णय किया जाता है।

तनकी न. 1 :– आया वादीगण प्रतिवादी न. 1 के नाम के चक 11 एसएलडी के खाता न. 18/41 के 3.214 हैक. में से 1.500 हैक. कमाण्ड खातेदारी में से 0.253 हैक. रकबा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनाक 31.12.2014 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हुआ है ?

वादीगण

इस तनकी को साबित करने का [illegible] प्रस्तुत दस्तावेजो साक्ष्यो से यह पुर्णतया साबित है कि प्रतिवादी न. 1 ने जैरप्रकरण [illegible] 1 एसएलडी की जमाबन्दी सवत् 2061 के खाता न. 18/41 के 3.214 हैक. [illegible] रकबा में अपने नाम के 1.500 हैक. खातेदारी रकबा में से 0.253 हैक. रकबा का पूर्ण प्रतिफल [illegible] कर वादीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा दिनाक 31.12.2014 को उप –पजीयक [illegible] से पजीयन करवाकर इस रकबा का कब्जा वादीगण को सौप दिया। इसलिये वादीगण अपने आप का [illegible]जीकृत बैयनामा के आधार पर 0.253 हैक. रकबा के खातेदार कृषक घोषित करवाने के कानूनी रूप से हकदार है। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी न. 2 :— आया वादीगण बैयनामा दिनाक 31.12.2014 के आधार पर प्रतिवादी न. 1 के जैरप्रकरण रकबा का खातेदार काश्तकार है ? —वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने प्रतिवादी न. 1 से उसके नाम के खातेदारी रकबा 1.500 हैक्. रकबा में से 0.253 हैक्. रकबा को पजीकृत बैयनामा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हुआ है। इसलिये उक्त रकबा में प्रतिवादी न. 1 के खातेदार हक स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुके है व वादीगण उक्त रकबा के खातेदार कृषक हो चुके है। इसलिये इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

तनकी न. 3 :— आया प्रतिवादी ने वादीगण को 0.253 हैक्. रकबा का बैयनामा दिनाक 31.12.2014 करवाने के पश्चात् आईसीआईसीआई बैक शाखा सूरतगढ़ से ऋण प्राप्त किया है इसलिये प्रतिवादी द्वारा प्राप्त ऋण वादी के हको पर बेअसर है ? —वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रतिवादी न. 1 ने जैरप्रकरण रकबा चक 11 एसएलडी की जमाबन्दी सवत् 2061 के खाता न. 18/41 के 3.214 हैक्. सयुक्त खाते के खातेदारी रकबा में अपने नाम के 1.500 हैक्. खातेदारी रकबा में से 0.253 हैक्. रकबा को वादीगण को जरिये पजीकृत बैयनामा दिनाक 31.12.2014 से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बैचान किया था तथा प्रतिवादी न. 1 ने अपने नाम के जैरप्रकरण रकबा को प्रतिवादी न. 2 के दिनाक 06.02.2015 को रहन रखा है जबकि प्रतिवादी न. 1 द्वारा बेचान किये गये रकबा को प्रतिवादी न. 2 के रहन रखने का कोई कानूनी अधिकार नही था क्योकि प्रतिवादी न. 1 द्वारा अपने नाम के उक्त रकबा को प्रतिवादी न. 2 के रहन रखने से पूर्व ही वादीगण को बैचान किया जा चुका है इसलिये प्रतिवादी न. 1 द्वारा वादीगण को जरिये पजीकृत बैयनामा द्वारा बैचान किये गये रकबा पर बैक ऋण वादीगण के हितो पर बेअसर है इसलिये प्रतिवादी न. 1 का 1.500 हैक्. रकबा में से 0.253 हैक्. रकबा जो वादीगण को पजीकृत बैयनामा दिनाक 31.12.2014 को बैचान किया है जिसे ऋण मुक्त किया जाकर इतने रकबा पर बैक ऋण बागुजार किया जाना उचित है। इसलिये इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

तनकी न. 4 :— आया वादीगण बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में रकबा अपने नाम दर्ज करवाने का हकदार है ? —वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रतिवादी न. 1 ने चक 11 एसएलडी की जमाबन्दी सवत् 2061 के खाता न. 18/41 के 3.214 हैक्. सयुक्त खाते के खातेदारी रकबा में अपने नाम के 1.500 हैक्. खातेदारी रकबा में से 0.253 हैक्. रकबा को वादीगण को जरिये पजीकृत बैयनामा दिनाक 31.12.2014 से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बैचान कर कब्जा सौप दिया है इसलिये प्रतिवादी न. 1 के उक्त रकबा में कोई हित निहित है व प्रतिवादी न. 1 के खातेदार अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके है व उक्त रकबा के वादीगण खातेदार कृषक हो गये है इसलिये वादीगण पजीकृत बैयनामा दिनाक 31.12.2014 के आधार पर अपने आप को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार कृषक दर्ज करवाने के कानूनी हकदार है। इसलिये इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

तनकी न. 5 :— आया वादीगण के पक्ष में निष्पादित बैयनामा के पारिवारिक समझौता के तहत प्रतिवादी द्वारा करवाया गया है व वादीगण को जैरप्रकरण रकबा का कब्जा सौप दिया परन्तु ऋण राशि बैयनामा से पूर्व की है इसलिये वादी जमा करवायेगा ? —प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी न. 1 ने चक 11 एसएलडी की जमाबन्दी सवत् 2061 के खाता न. 18/41 के 3.214 हैक्. सयुक्त खाते के खातेदारी रकबा में अपने नाम के 1.500 हैक्. खातेदारी रकबा में से 0.253 हैक्. रकबा का बैयनामा पारिवारिक समझौता के तहत निष्पादित करवाया हो तथा जैरप्रकरण रकबा पर बैक [illegible] बैयनामा दिनाक 31.12.2014 से पूर्व का हो ऐसे कोई साक्ष्य प्रतिवादी ने पेश नही किया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से यह पूर्णतया सिद्ध है कि प्रतिवादी न. 1 द्वारा प्रतिवादी न. 2 से लिया गया बैक ऋण वादीगण के पक्ष में निष्पादित बैयनामा दिनाक 31.12.2014 से बाद का है। इस तनकी को प्रतिवादी साबित नही कर पाया है इसलिये इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

तनकी न. 6 :— आया वादी स्वंय बैक ऋण जमा करवाकर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा व बैयनामा का पंजीयन करवायेगा ? —प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी न. 1 के लिखित कथनो के अनुसार प्रतिवादी न. 1 द्वारा जरिये पजीकृत बैयनामा वादीगण को बेचान किये गये रकबा का बैक ऋण वादीगण द्वारा अदा किया जाना था लेकिन प्रतिवादी न. 1 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह सिद्व हो कि वादीगण स्वंय बैक ऋण जमा करवायेगे इसके विपरीत प्रतिवादी न. 1 ने चक 11 एसएलडी की जमाबन्दी सवत् 2061 के खाता न. 18/41 के 3.214 हैक. सयुक्त खाते के खातेदारी रकबा में अपने नाम के 1.500 हैक. खातेदारी रकबा में से 0.253 हैक. रकबा का बैयनामा दिनाक 31.12.2014 वादीगण के पक्ष में पजीयन करवाने के उपरान्त उक्त रकबा पर बैक ऋण प्राप्त किया है जो दस्तावेजी साक्ष्यो से पूर्णतया साबित है। इसलिये इस तनकी को प्रतिवादी न. 1 सिद्व नही कर पाया है। इसलिये इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

तनकी न. 7 :– अन्य अनुतोष

इस तनकी के अनुतोषं मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण वाद खर्च अपना अपना वहन करने का निर्णय किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 11 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के पत्थर न. 76/391 (31) के किला न. 20/0.228 हैक., 21/0.228 हैक. कुल 0.456 हैक. व पत्थर न. 77/391 (32) के किला न. 15 ता 018, 23 ता 25 में 1.771 हैक. व पत्थर न. 77/392 (37) के किला न. 3 ता 5 में 0.759 हैक. व पत्थर न. 76/392 (38) के किला न. 1 में 0.228 हैक. इस प्रकार कुल 3.214 हैक. कमाण्ड भूमि में प्रतिवादी न. 1 के नाम अकिंत भूमि में से 0.253 हैक. कमाण्ड भूमि कलमजन करने का एंव इस रकबा के वादीगण को पंजीकृत बैयनामा दिनाक 31.12.2014 के आधार पर ब.हि.बराबर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा इतने ही रकबा पर बैक ऋण निष्प्रभावी किया जाता व राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. रायसिह
2. बृजपाल

पुत्रगण रजीराम अकवाम जाट साकिनान भैरूपुरा उर्फ सीलवांनी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1.गोपाल पुत्र चुन्नीराम जाति जाट फौत जरिये वारिस :–

1/1 सावित्री देवी पत्नी
1/2 भैरूसिह पुत्र
1/3 जसवन्त सिह पुत्र

गोपाल अकवाम जाट साकिनान भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/4 रेखा पुत्री गोपाल पत्नी रमेश कुमार झोरड़ जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/5 समेस्ता पुत्री गोपाल पत्नी रामकुमार पचांर जाति जाट साकिन ठण्डी तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/6 मन्जु पुत्री गोपाल पत्नी जयपाल धायल जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/7 अन्जु पुत्री गोपाल पत्नी सुशील काटिया जाति जाट साकिन बान्डा कॉलोनी, अनूपगढ़ तहसील अपूनगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2.शाखा प्रबन्धक महोदय, आईसीआईसीआई बैक शाखा सूरतगढ़।

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 67 वर्ष 2022 (GCMS No. 2022/177) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा एवं वकील प्रतिवादी श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 11 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के पत्थर न. 76/391 (31) के किला न. 20/0.228 हैक., 21/0.228 हैक. कुल 0.456 हैक. व पत्थर न. 77/391 (32) के किला न. 15 ता 018, 23 ता 25 में 1.771 हैक. व पत्थर न. 77/392 (37) के किला न. 3 ता 5 में 0.759 हैक. व पत्थर न. 76/392 (38) के किला न. 1 में 0.228 हैक. इस प्रकार कुल 3.214 हैक. कमाण्ड भूमि में प्रतिवादी न. 1 के नाम अकिंत भूमि में से 0.253 हैक. कमाण्ड भूमि कलमजन करने का एंव इस रकबा के वादीगण को पंजीकृत बैयनामा दिनाक 31.12.2014 के आधार पर ब.हि.बराबर में खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा इतने ही रकबा पर बैक ऋण निष्प्रभावी किया जाता है। राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोज.....x.....मुबलिग......x......बाबत......x......खर्चा इस मुकदमा मय सूद बशरह......x......फस्दों की पालना......x......आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19/05/2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:41 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)